वाले यात्रियों के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है और उन्हें लिंक एक्सप्रेस से जालंधर आने पर कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार शाने पंजाब में यात्रा के लिए लिंक एक्सप्रेस में 2–3 अतिरिक्त यात्री डिब्बे जोड़ने की व्यवस्था करेगी जिससे यात्रियों को जालंधर पर उतरने में कोई कठिनाई न आए ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जम्मू तवी तथा पठानकोट से प्रारम्भिक यात्री 198 शाने पंजाब एक्सप्रेस से दिल्ली जाने के लिए अपने आरक्षण मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक, जम्मू तवी/पठानकोट के माध्यम से गाड़ी के प्रारम्भिक स्टेशन अर्थात अमृतसर से टेलीग्राम द्वारा करा सकते हैं।

197/198 शाने पंजाब पहले ही अनुमेय अधिकतम 17 सवारी डिब्बों के साथ चल रही है और यह गाड़ी बहुत ही लोकप्रिय है। अतः इस गाड़ी में न तो कोई सवारी डिब्बा लगाने की गुंजाइश है और न ही इस गाड़ी के साथ चल रहे मौजूदा सवारी डिब्बों में से किसी सवारी डिब्बे का पठानकोट, जम्मू तवी के लिए मार्ग बदला जा सकता है ;

प्रशिक्षणाधीन नर्सों को वृत्तिका की मात्रा

1671. **श्री सूरज प्रसाद** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के बड़े सरकारी तथा गैर-सरकारी अस्पतालों में प्रशिक्षण के लिए भर्ती की जाने वाली नर्सों को वृत्तिका में वृद्धि की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष की प्रशिक्षार्थियों की वृत्तिका में कितनी वृद्धि की गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वेतन आयोग ने प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें मुफ्त खाने की सुविधा के साथ-साथ होस्टल की सुविधाएं प्रदान करने की सिफारिश की है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा क्या सरकार नर्सों को मुफ्त खाने की सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार और दिल्ली प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अस्पतालों में, जिनमें दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका भी शामिल हैं, चलाए जा रहे सामान्य उपचर्या और मिडवाइफरी पाठ्यक्रमों के छात्र-नर्सों के वजीफे की दर संशोधित करके 1–10–86 से सभी तीन वर्षों के लिए समान रूप से 500/- रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। बढ़ी हुई मात्रा प्रथम वर्ष के लिए 250 रुपए प्रति माह, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के लिए 200 रुपए प्रतिमाह है।

(ग) छात्र-नर्सें वेतन आयोग की रिपोर्ट के दायरे में नहीं आती हैं। छात्रों को निःशुल्क आवास की सुविधा पहले से ही प्रदान की जा रही है।

(घ) प्रशिक्षु नर्सों को निःशुल्क भोजन प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Shipping Corporation of India

1672. SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Shipping Corporation of India has been in the doldrums;

(b) whether it is also a fact that Government have not extended the minimum cargo support to it as is done by other countries in respect of their National Shipping Companies; and